नियम 73 : प्राधिकृत प्रतिनिधि को नियुक्त करने या बदलने के लिए सहमति (संबंधित उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार सम्यक् रूप से मुहर लगी हुई)

कोई विधि व्यवसायी या प्राधिकृत प्रतिनिधि, अपील अधिकरण के समक्ष किसी लंबित मामले या कार्यवाही में, जिसमें पहले से ही रिकार्ड पर विधि व्यवसायी या प्राधिकृत प्रतिनिधि विद्यमान है, यथास्थिति, वकालतनामा या उपस्थिति का ज्ञापन या प्राधिकार पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव करता है, वह ऐसा केवल विधि व्यवसायी या रिकार्ड पर प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित सहमति से करेगा या जब ऐसी सहमति देने से इनकार कर दिया जाता है, तो इस संबंध में फाइल आवेदन पर, यथास्थिति, वकालतनामा या उपस्थिति का ज्ञापन, रद्द करने के पश्चात अपील अधिकरण की अनुमति से करेगा, जिस पर पहले से रिकार्ड पर विद्यमान काउंसिल को ऐसे आवेदन की तामील के पश्चात् ही विचार किया जाएगा :

परंतु अधिनियम की धारा 112 की उपधारा 3 के अधीन फाइल आवेदन के मामले में ऐसी सहमति अपेक्षित नहीं होगी।